SHODH SAGAR®
Innovative Research Thoughts
ISSN: 2454-308X | Vol. 10 | Issue 3 | Jul - Sep 2024 | Peer Reviewed & Refereed

पंचायती राज संस्था में आरक्षण नीति का अध्ययन

रीतू रानी
रिसर्च स्कॉलर, लोक प्रशाशन विभाग
NIILM University, Kaithal

डॉ. मीनाक्षी
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विभाग
NIILM University, Kaithal

Check for updates

Accepted: 10/08/2024 Published: 25-09-2024

*** Corresponding author**

सारा

भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करना है । पंचायती राज संस्था का महत्त्व इसलिए भी है क्योंकि वेद, महाभारत, धर्म सूत्र जातक, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है । बौद्ध काल में पंचायत का पूरा अधिकार और प्रभाव ग्रामीणो पर ही होता था । ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था अधिक अच्छी नहीं थी । पंचायती राज की वास्तविक उन्नति स्वतंत्रता के बाद ही हुई । आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव में विकास प्रगति तभी हो सकती हैं जब पंचायती राज द्वारा गांवों का विकास होगा । गांधी जी के इस सपने को पूरा करने के लिए वकालत की गई । लोकनायक नेता जयप्रकाश ने कहा कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी है कि पंचायती राज हर गांव–गांव तक पहुंचाया जाए । सबसे पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज की शुरूआत की गई । ग्रामीण पद्धति और लोक नीति के आधर पर ही ग्राम पंचायत की स्थापना की गई । अब सभी राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो में पंचायती राज संस्थाएं हैं । पंचायती राज को तीन वर्गों में बांटा गया है । प्रथम ग्राम स्तर पर द्वितीय खण्ड स्तर पर व तृतीय जिला स्तर पर । ग्राम स्तर की पंचायत को ग्राम पंचायत कहते हैं । खण्ड स्तर को पंचायत समिति कहते हैं और जिला स्तर की पंचायत को जिला परिषद कहते हैं।

संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतो में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी स्थान आरक्षित किया गया । इस अध्ययन में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण नीति के प्रावधानों उनके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रभावो का विश्लेषण किया गया है । संविधान द्वारा महिलाओं को अधिकार दिए गए है उसका अध्ययन किया गया है । अनुसंधान से स्पष्ट होता है कि आरक्षण नीति ने ग्रामीण शासन की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है । जिससे उनके जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ है । जिसकी वजह से सामाजिक न्याय की दिशा में विशेष प्रगति हुई हैं । हालांकि इस नीति को लागू करते हुए हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ आती है । इस शोध का उद्देश्य इन सभी पक्षो का मूल्यांकन करना व भविष्य में आरक्षण नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है ।

मुख्य शब्द

आरक्षण, सशक्तिकरण, पंचायती राज, प्रतिनिधित्व, मूल्यांकन, लोकतान्त्रिक, विविधतापूर्ण

OPEN ACCESS
© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

भूमिका

भारत एक विशाल देश है । जहाँ अनेक जातियो, समुदायो और धर्मों के लोग रहते हैं । इन विविधताओ के बावजूद कुछ वर्गों को राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाता है । संविधान निर्माताओ ने इस असमानता को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जिससे ग्रामीण क्षेत्रो में लोकतांत्रिक शासन की जड़े और अधिक मजबूत हो सके । महिला सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है । जिसमें महिलाओं को सम्पन्न और विकसित करने के लिए विकल्प तैयार होने चाहिए । महिलाएं समाज का आधा भाग है फिर भी समाज में उनकी राजनीतिक सहभागिता बहुत कम है । वर्तमान पंचायती राज सामाजिक समानता, न्याय, आर्थिक विकास और महिलाओं के सम्मान पर आधारित ग्रामीण जीवन को एक नया रूप देने का प्रयास हैं । महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था में होना इन्हीं प्रयास के फलस्वरूप है । महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होने की वजह से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त हुआ है । आरक्षण नीति के माध्यम से अनुसूचित जातियो व अनुसूचित जनजातियो व महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में केवल सदस्यता के लिए ही नहीं बल्कि सरपंच, पंच और प्रधान जैसे महत्त्वपूर्ण पदों के लिए भी छूट दी गई है।

आरक्षण का अर्थ

आरक्षण का अर्थ किसी विशेष वर्ग या समूह के लिए कुछ स्थानो या अवसरो को सुरक्षित करना है । आरक्षण भारत में समाज के शोषित और वंचित वर्गों के लिए लोगो के लिए असमानता को दूर करने के उपाय के रूप में अपनाया जाता है । इसके अनुसार सरकारी नौकरियों, शिक्षा, संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में चुनाव के लिए सीटो के प्रतिशत को आरक्षित किया जाता है । आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जातियो व अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगो को विशेष सीटो में आरक्षण के द्वारा प्रवेश मिलता है । यह आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में भी दिया जाता है । ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने समाज में समानता और सामाजिक न्याय के प्रति अपना संकल्प जताया था ।उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियो में भी सभी के लिए आरक्षण की मांग की थी ।

आरक्षण के उद्देश्य :

आरक्षण समाज में समानता, भाईचारे व न्याय की प्राप्ति है । आरक्षण विकास की दिशा में सहायक हो सकता है । क्योंकि यह विभिन्न समुदायों को अधिक अवसर प्रदान करता है ।

आरक्षण असमानता को कम करने में मदद करता है । जैसे कि जातिवाद, आर्थिक असमानता ।

आरक्षण से विभिन्न समुदाय के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। जो समाज के विकास में महत्त्वपूर्ण हैं ।

आरक्षण की सहायता से बेरोजगारी को कम किया जा सकता है । क्योंकि आरक्षण प्राप्त होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार व शिक्षा के अवसर मिलेंगे ।

महिलाओं के खिलाफ लैंगिक हिंसा भारत में एक गंभीर समस्या है । आरक्षण से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है । क्योंकि पुरुषों के समान महिलाओं को भी राजनीति सहभागिता प्राप्त होगी ।

OPEN ACCESS
© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में आरक्षण का आरम्भ हंटर आयोग के गठन के साथ सन् 1882 में हुआ था । भारत में आरक्षण की नींव लगभग 141 साल पहले रखी गई थी। 1902 में महाराष्ट्र के शाहू जी महाराज ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी । साथ ही वंचित समुदाय के लिए नौकरियों में 5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई जिसे आरक्षण का पहला सरकारी आदेश कहा जाता है । 1908 में अंग्रेजों में भी प्रशासन में कम हिस्सेदारी वाली जातियो की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए और प्रशासन में उनको थोड़ा बहुत हिस्सा देकर आरक्षण शुरू किया गया । 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए कई फैसले लिए गए ।

1981 में मद्रास प्रेसीडेंसी ने गैर–ब्राह्मणों के लिए 44 प्रतिशत ब्राह्मणों के लिए 16 प्रतिशत, मुसलमानों के लिए 16 प्रतिशत भारतीय–एंग्लो ईसाइयों के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के लिए जातिगत सरकारी आज्ञापत्र जारी किया था । 1990–91 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए लागू किया गया । 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने गरीबों के लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया उसके बाद लगातार आरक्षण में बदलाव होते रहे है । 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज में आरक्षण नीति में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया था जिससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी हैं । आज महिलाएं हर पक्ष में पुरुषों के समान है । अनुच्छेद 243 (डी) के अनुसार पंचायतो में अध्यक्षो की कुल सीटों और कार्यालयों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। देश भर में महिलाओं की संख्या पंचायतो में बढ़ रही है । जिला पंचायतो में 41 प्रतिशत महिलाएं मध्यवर्ती पंचायतो में 43 प्रतिशत महिलाएं व ग्राम पंचायत में 40 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं

महिला आरक्षण विधेयक व वर्तमान परिदृश्य :

महिला आरक्षण विधेयक की शुरूआत 1986 में हुई थी। 1986 में महिलाओं के लिए अपमानजनक चित्रण के खिलाफ यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया । मार्गरेट अल्वा ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया और अक्तूबर 1987 में इसे कानून बना दिया गया । 1996 में महिला आरक्षण विधेयक का पहला संस्करण सितम्बर 1996 की 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया लेकिन सदन ने इसे स्वीकार नहीं किया । इसके बाद इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया । फिर यह विधेयक दिसम्बर 1996 में लोकसभा में पेश की गई लेकिन लोकसभा के भंग होने के साथ यही भी समाप्त हो गई । 1998 में फिर से 12वीं लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया गया । इसके बाद फिर यह विधेयक 1999, 2002 और 2003 में भी पेश किया गया । लेकिन राजनीतिक दलों से समर्थन मिल जाने के बाद भी विधेयक पारित नहीं हुआ । साल 2010 में महिला आरक्षण दो–तिहाई बहुमत से राज्यसभा में पास हो गया । परंतु फिर 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ यह विधेयक भी समाप्त हो गया ।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया । राजीव गांधी के बाद सभी पक्षों में महिलाओं को

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

आरक्षण देने का वायदा किया । लेकिन 17वीं लोकसभा के गठन के लिए हुए आम चुनावो के दौरान देश के दोनो प्रमुख राष्ट्रीय दलों अर्थात् राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे को स्थान दिया और संसद एवं राज्यो की विधानसभाओ में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया । आज पंचायती राज संस्थाएं भारत में ग्रामीण शासन का अहम हिस्सा बन चुकी है । आरक्षण नीति के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला ग्रामीण शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ।

वर्तमान महिला आरक्षण अधिनियम 2023 (106वां संशोधन) के अनुसार राज्य विधानसभा, लोकसभा और दिल्ली विधानसभाओ में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित हैं । यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए आरक्षित सीटो के लिए है । वर्तमान समय में लोकसभा में 82 महिला सांसद (15 प्रतिशत) और राज्य सभा में 31 महिलाएं (9 प्रतिशत) हैं । यह पहली लोकसभा से 5 प्रतिशत बढ़ी है । लेकिन कई देशो की तुलना में अभी भी कम है । 1952 में लोकसभा में 22 सीटों पर महिलाओं ने स्थान प्राप्त किया था लेकिन 2014 के चुनाव के बाद लोकसभा में 62 महिलाओं ने जीत हासिल की । 1952 में लोकसभा की महिलाओं की संख्या 4.4 प्रतिशत थी जो 2009 में लोकसभा में 11 प्रतिशत हो गई । लेकिन 2014 के चुनावों में महिलाओं की सफलता दर 9 प्रतिशत रही जो पुरुषों की 6 प्रतिशत की तुलना में 3 प्रतिशत ज्यादा थी । हरियाणा विधानसभा में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है । 2005 के चुनाव में 11 महिला हरियाणा विधानसभा में पहुंची थी । 2014 में 13 महिलाओं ने विधानसभा में अपना स्थान बनाया था । लेकिन 2019 में इनकी संख्या कम हो गई । 2019 में विधानसभा में केवल 9 महिलाएं जीत पाई पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले बिहार में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था । उसके बाद राजस्थान में भी लागू किया गया है । वर्तमान समय में आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आदि 21 राज्य ऐसे है जहां पर पंचायती राज संस्थानो में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटे उनकी जनसंख्या के अनुपात से आरक्षित की गई है अर्थात् जहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक होगी वहां अधिक सीटे आरक्षित होगी । राज्य ने अपने स्तर पर अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए भी पंचायतो में व्यवस्था की है । यह प्रावधान राज्य सरकारो की नीति और निर्णयों पर निर्भर करता है । आरक्षित सीटों पर चुनाव नियमित अंतराल पर कराए जाते हैं। ताकि प्रतिनिधित्व निरंतर बना रहें । पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है । आरक्षित सीटों पर चुने गए प्रतिनिधियों को अन्य सदस्यों को समान अधिकार व कर्त्तव्य दिए जाते हैं । उन्हें पंचायत की सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त होता है।

भारतीय संविधान में आरक्षण नीति के प्रावधान

देश के विकास के महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । जिसके लिए महिलाओं को सभी क्षेत्रों में कार्यरत रहना होगा । साथ ही साथ उन्हें अपने अधिकारो के प्रति जागरूक रहना होगा । वर्ष 2023 की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट (127) रैंकिंग में भारत वर्ष 2022 की तुलना में आठ गुना ऊपर पहुंचा है । इस रिपोर्ट में

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के समावेशन को एक नए संकेत के रूप में जोड़ा गया है । 146 देशो में से केवल 18 देश ऐसे मिले जहां लोकल गवर्नेन्स में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिला । भारत देश ऐसा देश हैं जहां भारतीय स्थानीय शासन में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी है । ग्राम स्तर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियो में से 44.4 प्रतिशत महिलाएं हैं ।महिलाओं की भागीदारी में भारत यू॰ के॰ और जर्मनी से भी आगे हैं ।भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारो और उनके संरक्षण के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल हैं ।

1. अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर महिलाओं के साथ कोई भेदभाव न करना ।
2. अनुच्छेद 16 में लोक सेवाओ में महिला व पुरुष दोनो को समान अवसर प्राप्त होगें ।
3. अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनो को प्राण दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना ।
4. अनुच्छेद 23–24 में स्त्रियों को शोषण के विरूद्ध अधिकार प्राप्त है ।
5. अनुच्छेद 42 में महिलाओं की प्रसुति अवकाश सहायता की व्यवस्था की गई है ।
6. अनुच्छेद 51 में महिलाओं की गरिमा का सम्मान करें और उनके प्रति हिंसा के विरोध का प्रावधान है ।
7. अनुच्छेद 243 (डी 3) में पंचायतो में महिलाओं के सीटों के आरक्षण की व्यवसथा है ।
8. अनुच्छेद 243 (4) यह अनुच्छेद नगरपालिकाओ के अध्यक्ष पदो में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है ।

समाज पर आरक्षण का प्रभाव

आरक्षण का समाज पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हैं । यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है । पहले समय में महिला व एससी, एसटी वर्गों के साथ भेदभाव होता था । परंतु आरक्षण मिलने के बाद उनके साथ हर पक्षों समानता का दृष्टिकोण नजर आया है तथा आरक्षण नीतियों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक प्रभाव पड़ा है ।

सामाजिक प्रभाव

आरक्षण में ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज में समानता और न्याय दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं । आरक्षण से अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में शामिल करने में सहायता मिली है । कुछ मामलों में आरक्षण ने समाज में विभाजन और तनाव को भी बढ़ावा दिया है । विशेष रूप से उन समुदायों के बीच जो आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए है ।

आर्थिक प्रभाव

आरक्षित वर्गों के सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं में शामिल होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है । आरक्षण से वंचित वर्गों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता मिली है । विभिन्न समुदायो के प्रतिनिधित्व से पंचायतो में राजनीतिक स्थिरता आती है । जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है ।

राजनीतिक प्रभाव

OPEN ACCESS
© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

आरक्षण से महिलाओं को सबसे अहम व बड़ा फायदा राजनीतिक भागीदारी से हुआ है । आरक्षण नीति से ग्रामीण राजनीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं को राजनीति में आने का मौका मिला है । आरक्षण की सहायता से ही वंचित वर्ग राजनीति में आकार सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं । जिससे स्थानीय शासन में सुधार होता है ।

शैक्षणिक प्रभाव

आरक्षण की वजह से युवा पीढ़ी को अपने उद्देश्य प्राप्त हुए । आरक्षण ने पिछड़े वर्ग जो आरक्षण न मिलने की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते उन्हे यह अधिकार प्राप्त हुआ है । जिससे उनकी शैक्षणिक योग्यता में सुधार आया है । आरक्षण ने शैक्षणिक संस्थानो में विविधता को बढ़ावा दिया है।

चुनौतियाँ

राजनीति में पुरुषो का दबदबा होने की वजह से महिलाओं को आरक्षण देने में राजनीतिक दलो का समर्थन कम मिलता है । जिससे राजनीतिक चुनौतियो का सामना करना पड़ता है ।

महिलाओं को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यो के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा की कमी होती है ।

महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न संसाधनों की कमी रहती है। जिसकी वजह से उन्हें आरक्षण सम्बन्धी जानकारी का अभाव रहता है।

आरक्षण नीतियों की प्रभावी कार्याविधि सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है । इसके लिए सही आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण आवश्यक होता है ।

आरक्षण में सुधार करने के लिए संवैधानिक संशोधन और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है । जो समय–समय पर करना मुश्किल हो जाता है ।

आरक्षण में किसी भी प्रकार का अगर बदलाव लाना हो तो वह सामाजिक व राजनीतिक विरोध का कारण बन जाता है । इससे विभिन्न जातियों के बीच असमानता व असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

सुझाव

महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है । इसके लिए राजनीतिक दलों के बीच संवाद और सहमति होनी चाहिए ।

इससे विभिन्न पक्षों की चिंताओं और सुझावों को समझने में मदद मिलेगी जिससे एक संतुलित समाधान निकाला जा सकेगा ।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण की समस्या को हल करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए । इससे जातियों के बीच असमानता को कम किया जा सकता है।

आरक्षण में सुधार करने के लिए समय–समय पर संशोधन करने चाहिए।

आरक्षण नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए । इसके लिए नियमित समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है ।

OPEN ACCESS
© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

समाज में महिलाओं के प्रति अच्छा सम्मानपूर्वक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण नीति के सामाजिक न्याय, समावेशिता और सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । लेकिन यह भी सही है, कि आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अनेक मानदण्डों प्रशिक्षण जागरूकता व सुझाव की आवश्यकता है । देश की उन्नति महिलाओं की तरक्की पर निर्भर करती है । इसलिए महिलाओं का अधिकार है कि उन्हें हर पक्ष में सम्मानपूर्वक अधिकार मिलें । महिला आरक्षण महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षणिक अधिकार प्रदान करते है । यह न केवल महिलाओं को समाज में समान अवसर प्रदान करता है ।समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है । महिला आरक्षण से समाज में महिलाओं को भागीदारी बढ़ी है ।

महिला आरक्षण में बहुत बड़ा योगदान संवैधानिक प्रावधान का भी है जिससे महिलाओं को अनेक अधिकार दिए है इससे महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसर मिले हैं । इस प्रकार महिला आरक्षण एक सशक्त और समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है । यह समाज के हर वर्ग को एक साथ होकर सुनहरे भविष्य की और लेकर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है ।

संदर्भ सूची

1. अंजु (2015) पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, इटरनेशनल जरनल ऑफ एपलाइड रिसर्च, 1(8), 331-334
2. डॉ संकठा, प्रसाद शुफला, सोनी जयनारायण (2019) महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति: राजनैतिक सशक्तिकरण के परिपेक्ष्य में, इटरनेशनल जरनल रिव्यु एण्ड रिसर्च एण्ड रिसर्च इन सोशल साईस, 7(1), 139-146
3. भारत में आरक्षण का इतिहास (2023) आज तक न्यूज, 8 नवम्बर, न्यूज पत्रिका में प्रकाशित
4. भावोमिक, सोम्या (2023) महिला आरक्षण विधेयक, ओबजरवर रिसर्च फाऊडेशन, पत्रिका में प्रकाशित
5. प्रो0 गोपाल प्रसाद, निगम प्रगति (2024 महिला सशक्तिकरण में लोक कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका, इटरनेशनल जरनल ऑफ क्रियेटिव रिसर्च थोटस, 12(3), 691-699
6. श्रीमती जैतपुरी दीपमाला (2022) भारत में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित विधियॉ, आई.जे.सी. आर.टी., 10(6) 716-720
7. चंद्रा, एस. (2018) पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण नीति का प्रभाव: एक अध्ययन भारतीय ग्रामीण विकास जर्नल, 45(3) 123-135
8. शर्मा, पी. (2017) पंचायती राज और महिलाओ का सशक्तिकरण ग्रामीण प्रशासनिक अध्ययन जर्नल, 29(2), 89-102
9. गुप्ता, आर. (2019) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का सामाजिक प्रभाव भारत का सामाजिक न्याय जर्नल, 37(4), 201-215.

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com

10. सिंह, के. (2020) पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी: चुनौतियों और अवसर महिला अध्ययन जर्नल, 22(1), 78-92
11. वर्मा, ए. (2016) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का विश्लेषण आदिवासी विकास जर्नल, 33(3), 150-162.
12. कुमार, जे. (2015) पंचायती राज में आरक्षण नीति के राजनीतिक प्रभाव राजनीतिक विज्ञान जर्नल, 41(2), 97-110
13. मिश्रा, डी. (2018) पंचायत चुनाव और आरक्षण: एक समालोचनात्मक अध्ययन चुनाव अध्ययन जर्नल, 27(2), 112-125
14. यादव, एन. (2019) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण पंचायती राज की भूमिका ग्रामीण समाजशस्त्र जर्नल, 34(1), 45-59
15. चौधरी, पी. (2020) पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियो की भूमिका समाजशस्त्र जर्नल, 38(3), 174-188
16. पटेल, एल. (2017) पंचायती राज में आरक्षण नीति सामाजिक और आर्थिक प्रभाव विकास अध्ययन जर्नल, 26(4), 210-224
17. शर्मा, कुमुद (2000))पावर एण्ड रिपरजेन्टेशन: रिजर्ववेशन फॉर वुमेन इन इण्डिया, एशियन जरनल ऑफ वुमनेज स्टडीज, 6(1), 47-87
18. कोर, मनप्रीत (2023) भारत में महिला सशक्तिकरण: उभरते आयाम, 8(7)) 187-192
19. डॉ. कुमार, आदित्य (2020))महिला सशक्तिकरण की चुनौती: एक समीक्षा, 4(1), 48-54
20. कुमार, रवि (2021))ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण, 16(2), 65-69
21. शर्मा, रूपा (2001))दा वुमेन ऑफ रिजर्ववेशन बिल, 47(1), 51-66
22. डॉ. कपूर अल्पना (2020))महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान, 4 (2), 78-85

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is a Gold Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://irt.shodhsagar.com